We have decIded to become a party to the Agreement. Copies of the Agreement have been placed in the Parliament Library for reference by the Hon'ble Members.

13.43 hrs.

METRO RAILWAYS (CONSTRUCTION OF WORKS) AMENDMENT BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFAR SHARIEF): On behalf of Shri Kedar Pande, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978."

The motion was adopted

SHRI C. K. JAFFAR SHARIEF: I introduce the Bill.

WILD LIFE (PROTECTION) AMENDMENT BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN): On behalf of Rao Birendra Singh I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Wild Life (Protection) Act, 1972.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Wild Life (Protection) Act, 1972."

The motion was adopted.

SHRI R. V. SWAMINATHAN: I introduce the Bill.

13.44 hrs.

MATTERS UNDER RULE RULE 377

(i)Alleged assault on Shri Satyanarayan Jatiya by the Police at Ujjain on the 15th December, 1981.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, matters under Rule 377—Mr. Satyanarayan Jatiya

SHRI SURAJ BHAN (Ambala): Sir, he is having difficulty in reading while standing. Kindly allow him to sit and read

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes. as a matter of fact I wanted to tell him. Therefore, he can sit and read.

SHRI N. K. SHEJWALKAR (Gwalior): The hon. Speaker should come here because the matter is concerning the privilege of a Member.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let the statement be made.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: After the statement, he has immediately to announce.

(Interruptions)

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat): Why should this statement be made under Rule 377?

SHRI SURAJ BHAN: The Speaker has promised in his Chamber that as soon as he makes the statement, he would like to make the announcement. Just now he has come.

MR DEPUTY-SPEAKER: Let him make the statement under Rule 377.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: Sir, it cannot be under Rule 377.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let it be there. Why do you worry about it?

SHRI INDRAJIT GUPTA: It is connected with the privilege motion, it cannot be under Rule 377. Some action has to be taken on it immediately.

13.46 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

---

*Published in Gazette of India Extraordiny, Part II section 2, dated 22-12-1981.

श्री सूरज भान : माननीय अध्यक्ष जी, श्री सत्यनारायण जटिया को इजाजत है बैठ कर पढ़ने की ?

अध्यक्ष महोदय : हां हां, बैठकर पढ़ सकते हैं ?

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त वेदना से पीड़ित हो अपना वक्तव्य उस समय दे रहा हूं जब कि मध्य प्रदेश की विधान सभा का रजत जयंती समारोह, जिस मुख्य अतिथि के रूप में आपने सुशोभित किया तथा जिस विधान सभा का सदस्य रहने का मुझे भी मौका मिला है, उसी मध्य प्रदेश में समारोह के दो दिन पूर्व 15 दिसम्बर, को प्रजातंत्र में जनता के प्रतिनिधि के साथ कैसा सलूक किया गया उसी का ब्यौरा सिलसिलेवार मैं सदन के समक्ष कर रहा हूं :

मान्यवर, उज्जैन की दो कपड़ा मिलें—विनोद तथा विमल टैक्सटाइल्स—में 8,000 से अधिक मजदूर और कर्मचारी काम करते हैं। किन्तु अगस्त, 1981 से ये मिलें लगातार नहीं चल रही हैं तथा 8 नवम्बर, 1981 से बन्द हो गई हैं। इसके कारण 8,000 मजदूर, कर्मचारी और उन पर आश्रित 50,000 लोग इन मिलों के बन्द हो जाने के कारण प्रभावित हुए हैं।

मैं उज्जैन लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचित जनता का प्रतिनिधि हूं। अतएव यह मेरा कर्त्तव्य है कि मैं इन हजारों की संख्या में बेरोजगारी से प्रभावित लोगों की मिलों को चलवाने की कोशिश कर इनकी वाजिब मदद करूं। इस हेतु मैं ने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री, श्री अर्जुन सिंह, से उनके उज्जैन आगमन पर तथा भोपाल में व्यक्तिगत रूप से मिल कर मिलों को अविलम्ब चलाने हेतु आग्रह किया। लोक सभा के वर्तमान सत्र में 1 दिसम्बर, 1981 को नियम 377 के अन्तर्गत सदन को समस्या से अवगत करवाया। इतना ही नहीं तो इसके पूर्व पिछले सप्ताह शुक्रवार को विगत सप्ताह की कार्यसूची में इस विषय को सम्मिलित करने का निवेदन लोक सभा में व्यक्त किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को उसी दिन संसद् भवन में स्थित उनके कमरे में जा कर इस समस्या से अवगत करवाया, जिसे हमारे माननीय अध्यक्ष ने सहानुभूतिपूर्वक सुना।

दिनांक 11 दिसम्बर, 1981 शुक्रवार को सायं साढ़े पांच बजे आयातित चीनी के प्रश्न पर आधे घण्टे की चर्चा में मैंने हिस्सा लिया और सदन की कार्यवाही चलने तक मैं लोक सभा में था। दूसरे दिन शनिवार को तथा रविवार को चूंकि सदन का अवकाश था, मैं इन दो दिनों के लिए उज्जैन गया। वहां मिलों के मजदूरों ने मुझे 15 दिसम्बर तक उज्जैन में ही रुके रहने का आग्रह किया। 12, 13, 14 दिसम्बर, को अपने लोक सभा क्षेत्र में जन-सम्पर्क किया। इन मजदूर परिवारों की आर्थिक विपन्नता को देखा। महिलायों के जेवर, घर के बर्तन बेच कर गुजारा करने के हालात सुने। 15 दिसम्बर को मजदूरों के आह्वान पर "उज्जैन बन्द" के दौरान प्रातः एक मजदूरों की "रैली" को मैंने संबोधित किया। इसके बाद उनकी मांगों को केन्द्र सरकार तक पहुंचाया जाय, इस हेतु एक सांकेतिक प्रदर्शन रेलवे पर किया गया। प्रदर्शन के उपरान्त चूंकि यह सार्वजनिक तौर पर अन्तिम कार्यक्रम था इसके उपरान्त यथाशीघ्र में लोक सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली लौट जाना चाहता था। उस समय मेरे साथ श्री हरिवल्लभ बंसल, श्री राजेन्द्र रघुवंशी श्री रामेश्वर गहलोद तथा श्री किशोर लश्करी थे। हम स्टेशन के प्लेट फार्म

नं० 1 पर थे तथा स्टेशन से बाहर की ओर जा रहे थे । रेलवे पुलिस थाने के पास उज्जैन जिला पुलिस अधीक्षक श्री एच० पी० सिंह ने मुझे न सुनते हुए मेरे दोनों हाथ पकड़ कर चिल्ला कर पुलिस कर्मियों को मेरे ऊपर लाठी चलाने का निर्देश दिया । पहला प्रहार मेरे सिर पर किया, दूसरा मेरी दाहिनी जांघ पर तथा तीसरा मेरे बायें पांव व घुटने के नीचे, जिसके कारण मैं नीचे गिर पड़ा । मेरे साथ चल रहे व्यक्तियों पर जो मुझे बचाने दौड़े और मुझे बचाने के लिये ढक लेना चाहते थे ... उनको तथा मुझे काफी चोटें आयीं । मेरे सिर में, बायें-बायें दोनों हाथों में, दाहिने हाथ की कोहनी पर, दाहिने हाथ की जंघा पर, घुटने और टखने पर लाठी के प्रहार किये गये । मेरे बायें पांव के आगे के हिस्से पर प्रहार के कारण खून बह निकला । मुझे पूरे तौर पर घायल कर दिया । मैंने पुलिस अधीक्षक से अपनी बात कहना चाही, किन्तु सुनना तो दूर रहा, अपशब्दों और अभद्रतापूर्वक कहा—"बदमाश—गुंडे कहीं के नेतागिरी करता है, तेरी नेतागिरी अभी ठिकाने लगा देता हूं, । कमीने, हरिजन कहीं के संसद्-सदस्य बन गया तो अपनी औकात भूल गया ।" उसने डंडों से मेरे शरीर को घायल किया, किन्तु उस के अपमान और तिरस्कार के नफरत भरे शब्दों ने मेरी आत्मा को छलनी बना दिया ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, व्यक्तिगत रूप से मैं काफी आहत हूं । बिना किसी आदेश के जब कि जिलाधीश उज्जैन रेलवे पुलिस थाने में थे, मुझे रोके रखने का कोई आदेश नहीं किया गया था । एक घंटे तक पुलिस ने मुझे प्लेट फार्म पर ही बलपूर्वक रोके रखा, मेरा मजाक बनाते रहे और मैं सहता रहा । एक घंटे के उपरान्त भी जब कोई आदेश मुझे नहीं दिया, किसी तरह परेशान होकर मैं उनके इस घेरे से बाहर आया । स्टेशन के बाहर फिर मुझे पुलिस द्वारा घर लिया गया और तब जबरन मुझे जेल में भेज दिया गया । जेल में मुझे कैदियों ने उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां जेल के डा० श्री पटवर्धन ने जांचकर प्राथमिक उपचार किया । इसके बाद मुझे 15-12-81 को रात्रि में रिहा किया गया ।

दिनांक 16-12-81 को रेलवे पुलिस थाने पर लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाने जब श्री राजेन्द्र शिंदे को भेजा तो रिपोर्ट लेने से इन्कार कर दिया । बाद में रेलवे पुलिस अधिकारी ने अपने अधिकारियों से विचार-विमर्श करने के उपरान्त रिपोर्ट ले ली । पुलिस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति मेरे पास है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस अधीक्षक श्री एच० पी० सिंह ने बलपूर्वक मुझे रोके रखा, मुझे अपमानित किया और बार-बार घेरकर प्राणघातक चोटें पहुंचायीं । मुझे लोक-सभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया । मेरे शरीर के जख्म तो मैं सहन कर रहा हूं, किन्तु मेरी आत्मा आहत है । मैं इस सदन से तथा सदन के प्रमुख के नाते आपसे प्रार्थना करता हूं कि—

1. उक्त पुलिस अधिकारी के विरुद्ध जिसने मुझे तथा मेरे मर्म को जख्मी तो किया ही है, मुझे लोक-सभा में लोक प्रतिनिधित्व करने के कर्त्तव्य के निवहन से वंचित किया है, अतएव इस सम्बन्ध में अविलम्ब न्याय दिया जाये, जिससे भविष्य में जन-प्रतिनिधियों के साथ इस

[श्री सत्य नारायण जटिया]

प्रकार की बौखलाहट और अन्यायपूर्ण कार्यवाही करने का कोई दुःसाहस न कर सके ।

2. उक्त स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभा के पुनीत अधिकारी मुझे, मेरे परिवार का तथा मेरे साथियों को जिनका नाम इस वक्तव्य में दिया गया है, और अधिक क्षति पहुंचाने का कोई षड़यन्त्र न कर दें, इस हेतु मुझे, मेरे परिवार तथा मेरे साथियों को पूर्ण सुरक्षा, संरक्षण तथा अभय प्रदान किया जाये ।

इसके साथ ही अन्त में मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री से यह आग्रह करना चाहूंगा कि विनोद व विमल मिल के हजारों मजदूरों की बरोजगारी समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार मिलों को तत्काल अधिग्रहीत कर राहत प्रदान करे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे, सदन से मांग करता हूं कि कृपया इस प्रकरण को प्रिविलेजेज कमेटी, विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया जाये । संयोग से मैं यहां पर मौजूद हूं, यदि मैं यहां नहीं आता तो ऐसे समय में लिखित वक्तव्य को भी स्वीकार करेंगे, ऐसा भी मेरा निवेदन है । इतना कहकर मैं आपको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया ।

SHRI RAJESH PILOT (Bharatpur): Sir, it is a most serious thing and we must take a serious view of this. Otherwise democracy in this country will be murdered.

MR. SPEAKER: In this connection, I would like to observe that it is a breach of privilege and contempt of the House to obstruct or molest a member while in the execution of his Parliamentary duties, that is, while he is attending the House or when he is coming to or going from the House. Similarly, to molest a Member on account of his conduct in Parliament is a breach of privilege. It has been held earlier by my distinguished predecessors that an assault on or misbehaviour with a Member unconnected with his Parliamentary work or mere discourtesy by the police or officers of the Government are not matters of privilege, and such complaints should be referred by Members to the Ministers direct.

However, I find that in the present case, the Government's version of the facts is different from the version given by Shri Satyanarayan Jatiya in the House. I have, therefore, no objection if a motion is moved for referring the matter to the Committee of Privileges.

13.55 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE

Alleged assault on Shri Satyanarayan Jatiya by the Police at Ujjain.

"That the matter relating to the statement made on the floor of the House by Shri Satyanarayan Jatiya concerning assault on him by the Police at Ujjain on 15th December, 1981, be referred to the Committee of Privileges for examination and report."

MR. SPEKER: The question is:

"That the matter relating to the statement made on the floor of the House by Shri Satyanarayan Jatiya concerning assault on him by the Police at Ujjain on 15th December, 1981, be referred to the Committee of Privileges for examination and report."

The motion was adopted.